

(b) The Plant has had to operate at reduced capacity from time to time for want of sufficient orders; and

(c) Strenuous efforts are being constantly made to secure orders both from the Home as well as the foreign markets.

Idle Capacity of Industries

*906. **Shri R. Barua:** Will the Minister of Supply and Technical Development be pleased to state:

(a) whether the scaling down of maintenance imports has increased the idle capacity of the Industries;

(b) if so, the main Industries affected by this process; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Supply, Technical Development and Materials Planning

(Shri K. Raghuramaiah): (a) and (b). Yes, Sir. The main industries in which short-fall in production is already noticeable are non-ferrous metal processing industries, such as, galvanised pipes, tubes and sheets, road rollers and passenger cars, scooters and motor-cycles, industries dependent on imported alloy steels, dry batteries, sulphuric acid and fertilizers dependent on sulphur and rock-phosphate and asbestos cement products.

(c) Steps instituted are broadly:

(i) substitution of imported materials to the maximum extent feasible;

(ii) enhanced allocation of free foreign exchange;

(iii) diversification of production;

(iv) development of ancillary industries with a view to allow manufacture of items which were being imported;

(v) Export Promotion Schemes facilitating import of raw material and components; and

(vi) Import facilities under the National Defence Remittance Scheme.

दुर्लभ पदार्थों का आयात

*907. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद तथा अन्य स्थानों में पीतल के बर्तनों के निर्माण करने वाले लघु उद्योग 'दुर्लभ औद्योगिक धातु नियंत्रण आदेश' के प्रवर्तन के परिणाम-स्वरूप बन्द हो गये हैं ;

(ख) ऐसे कितने उद्योगों पर इसका प्रभाव पड़ा है और इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) क्या उद्योगों के बन्द हो जाने के कारण हाथ से बने हुए नक्काशी वाले पीतल के बर्तनों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री द० संजीवय्या) :

(क) और (ख). सरकार को दुर्लभ औद्योगिक वस्तु (नियंत्रण) आदेश, 1965 में लागू किये जाने के कारण बर्तन मुरादाबाद अथवा अन्य किसी स्थान में बनाने वाले किसी भी कारखाने के पूरी तरह बन्द हो जाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये कारखाने बाजार से पीतल का कुछ कबाड़ मिल जाने से किसी प्रकार अपना काम फिलहाल चला रहे हैं। इन्होंने अल्युमिनियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

(ग) पीतल पर नक्काशी किये हुए हाथ से बने बर्तनों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन्हें कच्चा माल निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन मिलता है।

(घ) बर्तन निर्माताओं को अल्युमिनियम का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा